

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| अपील संख्या 12/84/2024 | रजिस्टर्ड नंबर 2024/138 | प्रवेश तिथि 28.11.2024 | निर्णय दिनांक 12.03.2025 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम, निवासी 6/13, एनईबी, हाउसिंग बोर्ड, अलवर राज0 ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 06 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत ।

उपस्थिति :-

1. श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी

—विभागीय प्रतिनिधि ।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 6 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 08.11.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम, निवासी 6/13, एनईबी, हाउसिंग बोर्ड, अलवर, जिला अलवर की कालूराम ढाबा, राठी मार्केट, एमआईए, अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम, निवासी 6/13, एनईबी, हाउसिंग बोर्ड, अलवर उपस्थित मिले। श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम की दुकान पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया।

श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 6 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 6 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० रिद्धि-सिद्धि एचपी गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री मुकुट सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी इन्द्रा कॉलोनी ग्राम तसई, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 6 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।


आ. रजि. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम की दुकान पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। वक्त जांच मौके पर श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री इन्दर कुमार पुत्र श्री देवाराम द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग एवं दुरुपयोग करना पाया गया है, जो कि जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6-ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)